वित्त निर्देश 42/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 396/एफ 2017–03–00522/वि/नि/चार, नया रायपुर, दिनांक 8.9.2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः–वाहन भत्ता की स्वीकृति

संदर्भः–वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 303/सी–15388/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007
वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 248/एल 2013–01–00151/वि/नि/चार, दिनांक 2 जून, 2014

———

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 2 जून, 2014 के अंतर्गत नया रायपुर स्थित मंत्रालय/विभागाध्यक्ष कार्यालय के कर्मचारियों को जिनका निवास रायपुर शहर में है उन्हें शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी निःशुल्क बस सुविधा अथवा राज्य के बी–2 श्रेणी के नगरों में स्थित शासकीय कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारियों तथा आकस्मिकता स्थापना के सदस्यों को स्वीकृत वाहन भत्ते में से किसी एक विकल्प को चयन करने की सुविधा उपलब्ध है।

2/ राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि रायपुर शहर स्थित शासकीय कार्यालयों के कतिपय कर्मचारियों को नया रायपुर में शासकीय आवास आबंटित है। अतः राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि नया रायपुर में आबंटित शासकीय आवास में निवासरत ऐसे कर्मचारियों को भी रायपुर शहर स्थित कार्यालय आने जाने हेतु निःशुल्क बस सुविधा अथवा वाहन भत्ता में से एक के चयन हेतु विकल्प की पात्रता होगी। विकल्प न देने की स्थिति में माना जाएगा कि शासकीय सेवक द्वारा निःशुल्क बस सुविधा का चयन किया गया है एवं उसे वाहन भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

3/ यह आदेश ऐसे शासकीय सेवकों द्वारा नया रायपुर में आबंटित शासकीय आवास का आधिपत्य लेने की तिथि से लागू माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) 8/9/2017
संयुक्त सचिव

पृ.क्र. 397/एफ 2017–03–00522/वि/नि/चार, नया रायपुर, दिनांक 8.9.2017

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल /महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव